राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET)–2024

राजीव गाँधी विद्या भवन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइन्स, अजमेर–305001

(माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान, अजमेर)

विज्ञप्ति सं. – 01/2024 दिनांक : 12.12.2024

Website: http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक REET-2024

Email ID : rajbserreet2024@gmail.com

फोन नं. (0145) 2630436, 2630437

राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प.7(13)प्राशि/आयो/2024–05100 पार्ट दिनांक 02.12.2024 द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) (लेवल 1 व लेवल 2) के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। यह परीक्षा निर्धारित दिनांक एवं समय पर निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। यह परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा है। उक्त रीट परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया/पात्रता मापदण्ड, ऑन–लाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

कार्यक्रम

वेबसाईट पर ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक	:	**दिनांक 16.12.2024 से 15.01.2025 (रात्रि 12 बजे तक)**
चालान मुद्रित कर निर्धारित बैकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की दिनांक	:	**दिनांक 16.12.2024 से 15.01.2025 तक**
वेबसाईट से प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने की संभावित दिनांक	:	**दिनांक 19.02.2025 सायं 04.00 बजे से**
परीक्षा तिथि :	:	**दिनांक 27.02.2025 (आवेदकों की संख्या एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 27.02.2025 से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है)**
परीक्षा प्रारम्भ होने का समय : प्रथम पारी	:	**प्रातः 10.00 बजे से 12.30 बजे तक**
: द्वितीय पारी	:	**अपरान्ह 3.00 बजे से सांय 05.30 बजे तक**

नोटः– अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के दो घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्टिंग करना वांछनीय है। परीक्षा केन्द्र पर विभिन्न प्रकार की जॉचों में समय लगेगा । जाँच पश्चात् ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के एक घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व प्रश्न पुस्तिका में अंकित निर्देश पढने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा।

इस परीक्षा के लेवल प्रथम एवं द्वितीय का पाठ्यक्रम, बैंक विवरण एवं महत्वपूर्ण निर्देश वेबसाईट http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक REET-2024 पर उपलब्ध रहेंगें।

लेवल–1 व लेवल 2 की दिनांक / पारी की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी।

1. **सामान्य सूचना :–** कार्यालय : राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET-2024) का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के कार्यालय : राजीव गांधी विद्या भवन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइन्स, अजमेर द्वारा किया जाएगा।
2. **ऑन–लाइन आवेदन प्रक्रिया :–** राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET- 2024) के लिए परीक्षा आवेदन पत्र ऑन–लाइन वेबसाईट http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक REET-2024 पर भरे जायेंगे। इस हेतु अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में वेबसाइट पर ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरें। समस्त अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का लेवल (Level), मोबाईल नम्बर अंकित कर सम्बन्धित बैंक/ऑन–लाइन भुगतान का चुनाव कर परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। शुल्क का सत्यापन वेबसाईट पर चालान नम्बर अंकित कर जाना जा सकेगा। बैंक से शुल्क का सत्यापन (Verification) होने के पश्चात ही अभ्यर्थी अपना परीक्षा आवेदन पत्र http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक REET-2024 से भर सकेगा। ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया व प्रपत्र उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे। ऑन–लाइन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा।

परीक्षा शुल्क :–

आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिग/ई–मित्र से जमा करा सकेंगेः–

- लेवल–1 – : रूपये 550/–
- लेवल–2 – : रूपये 550/–
- दोनों लेवल (लेवल–1 एवं लेवल–2) के आवेदक हेतु – : रूपये 750/–

विशेष ज्ञातव्य :– 1. आवेदक के पास प्रत्येक लेवल हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यताएं होना आवश्यक है।

नोटः–

I. अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि वह इस विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर आवेदन करने का पात्र है। यदि बिना जांच किए शुल्क जमा कराया जाता है तो शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

II. ऑन–लाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक, आवेदन–पत्र का प्रारूप वेबसाईट http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक REET-2024 से डाउनलोड कर लें और उसे ऑन–लाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। परीक्षार्थी अपना नाम, माता व पिता के नाम की वर्तनी अपने **कक्षा–10 उत्तीर्ण** प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करें।

III. अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेवें कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियाँ सही हैं, फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम,माता का नाम, जन्म दिनांक,पति का नाम, लिंग, जाति, श्रेणी,मोबाईल नम्बर में कोई संशोधन है तो सही कर लेवें।

IV. आवेदन पत्र में अपलोड किये जाने वाला पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो (दाढ़ी में / क्लीन शेव) लगाया गया है, परीक्षा हॉल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। **आवेदन में 10वीं की अंकतालिका अपलोड करनी होगी।**

V. यदि किसी भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया है तो पुनः वेबसाईट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे आवेदन पत्रों में से किसी एक का चयन कर लेवें, अन्यथा दो या अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के समस्त **फार्म निरस्त किये जा सकते हैं।**

VI. आवेदक अपना ऑन–लाइन आवेदन–पत्र भरते समय अन्तिम रूप से सबमिट (Submit) करने के पूर्व उसकी प्रविष्टियों की पुनः जाँच कर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई हैं। तत्पश्चात ही सबमिट (SUBMIT) बटन दबाऍं। प्रविष्टियों के सही होने के सम्बन्ध में साइबर–कैफे, कियोस्क , कंप्यूटर एजेन्सी या कम्प्यूटर ऑपरेटर पर निर्भर नहीं रहें अर्थात स्वयं भली–भांति सत्यापन कर लें।

VII. ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

VIII. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात आवेदन पत्र की एक प्रति डाउनलोड कर स्वयं के पास सुरक्षित रख लेवें।

IX. पुनः अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि अपने आवेदन पत्र की भली–भांति जांच कर लेवें कि इसमें रही त्रुटि / त्रुटियों में संशोधन कर लें अन्यथा आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं तथा परीक्षा परिणाम आने के पश्चात भी अयोग्य हो सकते हैं।

3. REET- 2024 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं :–

*निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा (23) की उप धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 (सपठित 29 जुलाई 2011) एवं समय–समय पर जारी एवं वर्तमान में वैधानिक रूप से प्रभावी अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार **''राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2024''** में सम्मिलित होने हेतु योग्यताएं एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे :–*

3.1 कक्षा 1 से 5 (लेवल–1) के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं :–

A. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत्।

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

अथवा

B. न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and passed 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) in accordance with the NCTE (Recognition, Norms and Procedure) Regulation, 2002.

अथवा

C. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी. एल.एड.) में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत्।

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed).

अथवा

D. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत्।

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in 2-year Diploma in Education (Special Educaton).

अथवा

*E. स्नातक एवं प्रारम्भिक शिक्षा में **द्विवर्षीय डिप्लोमा** (चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो) उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत्।*

*Graduation and **two year Diploma** in Elementary Education (by whatever name known) passed or appearing in this course.*

***स्पष्टीकरण** :– उपर्युक्त शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यताओं में बिन्दु A, B,C व E सामान्य शिक्षक तथा बिन्दु D विशेष शिक्षक पद हेतु होगी।*

नोटः– राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक 96186–218 दिनांक 06.01.2021 के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) नोएडा, उत्तर प्रदेश द्वारा सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रदत्त डी.एल.एड. (ODL) पाठयक्रम को सामान्य डी.एल.एड.के समान कंसीडर करने के कारण उक्त योग्यताधारी अभ्यर्थी रीट लेवल प्रथम परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होगें।

3.2 कक्षा 6 से 8 (लेवल–2) के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं :–

A. *स्नातक और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत हो।*

Graduation and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) passed or appearing in this course.

अथवा

B. *न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बी.एड. उत्तीर्ण या बी.एड कोर्स में अध्ययनरत्।*

At least 50% marks either in Graduation or post Graduation and B.Ed. passed or appearing in Bachelor in Education (B.Ed).

अथवा

C. *न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) में उत्तीर्ण, जो इस संबंध में समय–समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो।*

Graduation with at least 45% marks and 1-year B.Ed. passed, in accordance with the NCTE (Recognition, Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.

अथवा

D. *न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.) में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत्।*

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed).

अथवा

E. *न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.बीएड. या बी.ए. बी.एड./बी.एससी.बीएड में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत्।*

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in 4-year B.A. /B.Sc.Ed. or B.A.Ed./B.Sc.Ed.

अथवा

F. *न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बी.एड. (विशेष शिक्षा) में उत्तीर्ण या बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अध्ययनरत्।*

Graduation or post Graduation with at least 50% marks and B.Ed. (Special Education) passed or appearing in B.Ed (Special Education)

योग्यता के लिए अधिसूचनाएं एवं गाइडलाइन NCTE की अधिकृत वेबसाइट http://ncte.gov.in पर उपलब्ध है।

नोटः–राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना फा.सं.राअशिप–रेगु./012/22/2019–अ.स.(विनियम) दिनांक 13 नवम्बर, 2019 द्वारा किए गए संशोधन ''कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बी.एड.'' में अग्रांकित परन्तुक जोड़ा गया है–''लेकिन शर्त यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम में जुलाई, 2011 से पहले दाखिला ले लिया था।''

Note:- Amendment by NCTE Notification No.F.No. NCTE-Reg/012/22/2019-US(Regulation)-HQ. Dated 13th November, 2019 "At least 50% marks either in Graduation or in Post-Graduation and B.Ed." the following Proviso inserted-"Provided that minimum percentage of marks in graduation shall not be applicable to those incumbents who had already taken admission to the Bachelor of Education or Bachelor of Elementary Education or equivalent course prior to the 29th July, 2011."

स्पष्टीकरण :– *उपर्युक्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं में बिन्दु A से E सामान्य शिक्षक तथा बिन्दु F विशेष शिक्षक पद हेतु होगी।*

3.3 ***(a) अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमः–***

इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा मान्यता–प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता–प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरसीआई द्वारा विशेष शिक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम मान्य होगा परन्तु पाठ्यक्रम की अवधि व अध्यापन हेतु योग्यता एनसीटीई द्वारा निर्धारित अनुसार ही मान्य होगी।

(b) किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत व्यक्तियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण :–

जो व्यक्ति NCTE/RCI द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत है एवं NCTE द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 (सपठित अधिसूचना दिनांक 29.7.2011) एवं समय–समय पर जारी वर्तमान में वैधानिक रूप से प्रभावी अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो REET-2024 में बैठने के पात्र हैं, किन्तु उपर्युक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिये तभी पात्र होंगे, जबकि उन्होंने उपर्युक्त प्रशिक्षण कोर्स एव योग्यताएं राज्य सरकार द्वारा प्रचलित एवं प्रभावी नियमों के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक या इससे पूर्व समस्त शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताएं एवं REET-2024 न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत सहित उत्तीर्ण कर लिया हो।

(c) राजस्थान सरकार के पत्रांक प.7(13) प्रा.शि./आयो./2019 जयपुर, दिनांक 20.12.2021 में प्रदत्त निर्देशानुसार आवेदन करने हेतु निम्नानुसार अभ्यर्थी भी पात्र होगेः–

1. *स्नातक / उ.मा.वि. स्तर पर अंको के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधारियों के मामलो में लागू नहीं होगी, जिन्होनें शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दिनांक 29.जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था ।*

2. *ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 या उसके बाद शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, उनके स्नातक/उमावि में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने की बाध्यता है।*
3. *अध्यापक लेवल – प्रथम के लिए उमावि तथा अध्यापक लेवल – द्वितीय हेतु स्नातक में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत की उक्त दोनों शर्त प्रभावी रहेगी।*

(d) ***NCTE की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 के अनुसार*** *:– भाषा अध्यापक, सामाजिक अध्ययन, गणित और विज्ञान के अध्यापकों के सम्बन्ध में इस अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदण्ड लागू होंगे।*

(e) *राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.7(13)/प्रा.शि./आयो/रीट/कोर्टकेसेज/2022 जयपुर दिनांक 12.08.2024 के अनुसार ''बी. एड. (बाल विकास) योग्यताधारी अभ्यर्थी अध्यापक लेवल–1 के पद हेतु पात्र होगें।''*

<u>नोटः–</u> प्रत्येक लेवल के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/MBC/EWS/विशेष योग्यजन/विधवा/तलाकशुदा महिला/सहरिया अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

4. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET-2024) की संरचना एवं विषयवस्तु (Structure and Content of REET- 2024)

परीक्षा पाठ्यक्रम (विस्तृत पाठ्यक्रम कार्यालय की वेबसाईट पर देखें)

4.1 लेवल–1 – (कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक) अधिकतम अंक : 150, समय 2.30 घण्टा

ल्वेल–1 में निम्न खण्डानुसार प्रश्न होंगे :–

खण्ड– I बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– II भाषा–I – हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/पंजाबी/गुजराती *(**भाषा–I का चयन** आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम 'Medium of Instruction' की भाषा है। जिसका चयन ऑन–लाइन आवेदन में अंकित किया है।)*	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– III भाषा–II – हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/पंजाबी/गुजराती *(भाषा–II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। जिसका चयन ऑन–लाइन आवेदन में अंकित किया है। किन्तु यह **भाषा – I के रूप में चयनित भाषा से भिन्न होगी**।)*	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– IV गणित ———————————————	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– V पर्यावरण अध्ययन ———————————————	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक

नोट :– किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा–। व ।। के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किये हैं तो उसे मान्य नहीं माना जावेगा तथा उसका परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई भाषा के अनुरूप ही तैयार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

4.1.1. प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति :

1. "बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ" प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से सम्बन्धित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अन्तर्क्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जायेंगे।
2. भाषा–I के प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा से सम्बन्धित निपुणता की जाँच हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे। जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है।
3. भाषा–II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है, किन्तु यह भाषा–I के रूप में चयनित भाषा से भिन्न होगी। इस प्रश्न पत्र में भाषा–II की सामान्य समझ, सम्प्रेषण तथा उसकी बोधन क्षमता की परख हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे।
4. "गणित" तथा "पर्यावरण अध्ययन" विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता तथा विषय के अध्यापन कौशल से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।
5. बहु विकल्प प्रश्नों का मापदण्ड कक्षा I से V तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2024–25 के पाठ्यक्रम एवं विषय–वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सैकण्डरी (कक्षा 10) तक का होगा।
6. प्रश्न–पत्र का भाषा माध्यम (भाषा विषयों को छोड़कर) हिन्दी एवं अंग्रेजी में द्विभाषीय (Bilingual) होगा।

4.2. लेवल–2 – (कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक) अधिकतम अंक : 150 समय 2.30 घण्टा

लेवल–2 में निम्न खण्डानुसार प्रश्न होंगे :–

खण्ड– I बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– II भाषा–I – हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/पंजाबी/गुजराती *(भाषा–I का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम 'Medium of Instruction' की भाषा है। जिसका चयन ऑन–लाइन आवेदन में अंकित किया है।)*	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक

खण्ड– III	भाषा–II – हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/पंजाबी/गुजराती *(भाषा–II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया है। किन्तु यह **भाषा – I के रूप में चयनित भाषा से भिन्न** होगी।)*	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– IV	(अ) गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हेतु–IV(अ) गणित एवं विज्ञान विषय या	60 बहु विकल्प प्रश्न	60 अंक
	(ब) सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हेतु – IV(ब) सामाजिक अध्ययन विषय या	60 बहु विकल्प प्रश्न	60 अंक
	(स) अन्य विषय के शिक्षक हेतु – IV (अ) अथवा IV(ब) में से कोई एक	60 बहु विकल्प प्रश्न	60 अंक

नोट :– किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा–। व ।। के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किये हैं तो उसे मान्य नहीं माना जावेगा तथा उसका परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई भाषा के अनुरूप ही तैयार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

4.2.1. प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति :

1. "बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ" प्रश्न पत्र में 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से सम्बन्धित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अन्तर्क्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जायेंगे।
2. भाषा–I के प्रश्न पत्र में आवेदन पत्र भरते समय अंकित भाषा जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया गया है, से सम्बन्धित निपुणता की जाँच हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे।
3. भाषा–II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है, जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया गया है। किन्तु यह भाषा–I के रूप में चयनित भाषा से भिन्न होगी। इस प्रश्न पत्र में भाषा–II की सामान्य समझ, सम्प्रेषण तथा उसकी बोधन क्षमता की परख हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे।
4. "गणित एवं विज्ञान" तथा "सामाजिक अध्ययन" विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता तथा विषय के अध्यापन कौशल से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।
5. कक्षा 6 से 8 तक के "गणित एवं विज्ञान" विषय में समान अनुपात में 60 प्रश्न (30 प्रश्न गणित विषय के एवं 30 प्रश्न विज्ञान विषय के) तथा "सामाजिक अध्ययन" विषय में 60 प्रश्न उक्त विषय के पाठ्यक्रमानुसार पूछे जायेंगे।
6. बहु विकल्प प्रश्नों का मापदण्ड कक्षा VI से VIII तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2024–25 के पाठ्यक्रम एवं विषय–वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सैकण्डरी (कक्षा 12) तक का होगा।
7. प्रश्न–पत्र की भाषा का माध्यम (भाषा विषयों को छोड़कर) हिन्दी एवं अंग्रेजी में द्विभाषीय (Bilingual) होगा।

5. परीक्षा प्रक्रिया एवं आयोजन :–

I. **परीक्षा की दिनांक** : 27.02.2025 तथा परीक्षार्थियों की संख्या एवं विश्वसनीय परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धतानुसार परीक्षा तिथियाँ उपर्युक्त के साथ दिनांक 27.02.2025 एवं इसके पश्चात भी जारी रह सकती है।

समय : प्रथम पारी परीक्षा – प्रातः 10.00 बजे से 12.30 बजे तक
द्वितीय पारी परीक्षा – अपरान्ह् 3.00 बजे से सांय 5.30 बजे तक

<u>नोटः–</u> ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने लेवल–1 व लेवल–2 दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है उन्हें दोनों परीक्षाओं के निर्धारित समय पर परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को सम्बंधित परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षा प्रवेश पत्र :– REET कार्यालय द्वारा प्रवेश पत्र http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक REET-2024 वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इस बाबत सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्रवेश पत्र सम्बन्धी सूचना ई–मेल अथवा मोबाइल नम्बर पर संदेश (SMS) से भी भेजी जा सकती है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे, इस हेतु **आवेदन पत्र तथा चालान की प्रति** सुरक्षित रखें। डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे।

II. **सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के दो घंटे पूर्व पहुँचना वांछनीय है।**

III. ***परीक्षा में श्रुतलेखक के संबंध में आवश्यक विस्तृत दिशा–निर्देश रीट की वेबसाईट पर देखें।***

IV. **प्रश्न पत्र व्यवस्थाः–**

(a) प्रश्न पत्र पुस्तिका (Question paper booklet) प्राप्त कर भली भांति अवलोकन पश्चात् यह सुनिश्चित कर लें कि उसके सभी पृष्ठ पूर्ण हैं, कोई भी पृष्ठ क्षतिग्रस्त नहीं हैं तथा प्रश्नों के क्रमांक सही क्रम में हैं। क्षतिग्रस्त/त्रुटिपूर्ण Question paper Booklet को परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट तक बदलवा लें।

(b) प्रश्न पत्र पुस्तिका में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (Multiple choice) होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के चार विकल्प A, B, C, व D के रूप में होंगे, जिनमें से एक ही उत्तर का चयन करना है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है।

(c) प्रश्न पत्र पुस्तिका में 150 प्रश्न होंगे। खण्ड वार प्रश्नों की संख्या अनु. 4 के अनुसार होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है।

(d) लेवल–1 की प्रश्न पत्र पुस्तिका अनु. 4.1 के अनुसार **पाँच खण्डों** – I, II, III, IV, V में विभाजित है तथा सभी खण्ड हल करना अनिवार्य है। खण्ड–II व III में भाषा का चयन अनु. 4.1 के अनुसार किया जाए और यह आवेदन पत्र में अंकित

अनुरूप होना चाहिए। परीक्षार्थी द्वारा चयनित विषय के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। इसमें त्रुटि होने पर परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(e) लेवल–2 की प्रश्न पत्र पुस्तिका अनु. 4.2 के अनुसार **चार खण्डों** में विभाजित है जिसमें I, II, III, अनिवार्य हैं। इस प्रश्न–पत्र के खण्ड II व III में भाषा का चयन अनु. 4.2 के अनुसार किया जाए और यह आवेदन पत्र में अंकित अनुसार होना चाहिए। खण्ड IV में अनु. 4.2 के अनुसार (अ), (ब) व (स) के अनुसार चयन करना है जो आवेदन पत्र में अंकित अनुरूप होना चाहिए। परीक्षार्थी द्वारा चयनित विषय के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। इसमें त्रुटि होने पर परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगें।

(f) परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र से प्रश्न पत्र पुस्तिका अपने साथ नहीं ले जा सकेगें। उन्हें अपनी प्रश्न पत्र पुस्तिका परीक्षा केन्द्र पर ही जमा करवानी होगी।

V. उत्तर पत्रक (**OMR sheet**) व्यवस्थाः–

(a) परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर OMR शीट में प्रश्नों के सही विकल्प के रूप में अंकित करने होंगे। OMR शीट प्राप्त कर यह सुनिश्चित करलें कि वह स्पष्ट रूप में मुद्रित है और उसका क्रमांक भी स्पष्ट मुद्रित है। क्षतिग्रस्त/त्रुटिपूर्ण OMR शीट परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट तक बदलवा लें, इसके पश्चात कोई बदलाव नहीं किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।

(b) **ओ.एम.आर. शीट्स (उत्तर पत्रक) की प्रतियों की व्यवस्था** :– OMR शीट (उत्तर पत्रक) दो प्रतियों में होंगी जो एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होंगी। इसमें ऊपर वाली प्रति पर ''Original Copy'' तथा इसके नीचे वाली एक प्रति पर ''Candidate's Copy'' मुद्रित होगा। इन प्रतियों के बीच यद्यपि कोई कार्बन पेपर नहीं होगा, किन्तु इनके बीच रासायनिक पदार्थ होने के कारण अभ्यर्थी मूल प्रति में जो कुछ भी अंकित करेगा, वह उसके नीचे अभ्यर्थी प्रति (Candidate Copy) में भी स्वतः अंकित हो जाएगा। परीक्षा समाप्ति उपरान्त दोनों प्रतियों को वीक्षक (Invigilator) की निगरानी में छिद्रित रेखा से मोड़कर अलग किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रति को अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा और मूल प्रति (Original Copy) वीक्षक (Invigilator) को सुपुर्द करनी है।

*विशेष सावधानी :– अभ्यर्थी उत्तर देते समय ओ.एम.आर.शीट की मूल प्रति तथा अभ्यर्थी प्रति को अलग–अलग करने की कोशिश नहीं करें। ओ.एम.आर. शीट वीक्षक को सुपुर्द करना आवश्यक है, यदि परीक्षार्थी गलती से / जानबूझकर ओ.एम.आर. शीट की मूल प्रति (**Original copy**) अपने साथ ले जाता है तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी।*

(c) **लेवल–1** परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र **पांच खण्डों** में विभक्त होगा, इसके प्रत्येक खण्ड में 30 प्रश्न (कुल 150 प्रश्न) होंगे। जबकि **लेवल–2** परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र **चार खण्डों** में ही विभक्त होगा, जिनमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। दोनों स्तर की परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रथम खण्ड में 30 प्रश्न होंगे, जो अनिवार्य रूप से करने हैं। द्वितीय व तृतीय खण्ड में भाषा के वैकल्पिक खण्ड होंगे जिसमें 30–30 प्रश्न होंगे। परीक्षार्थी भाषा के खण्ड का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे उसी भाषा के प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करें, जिस भाषा को उन्होंने आवेदन पत्र भरते समय अंकित किया है। स्तर प्रथम में चौथे व पॉचवें खण्ड के 30–30 प्रश्न अनिवार्य हैं।

(d) लेवल–2 परीक्षा के प्रश्न पत्र में चतुर्थ खण्ड जो कि वैकल्पिक खण्ड है, में खण्ड IV (अ) गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों के लिए है जबकि खण्ड IV (ब) सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षकों के लिए है। इन विषयों के अलावा अन्य विषय के शिक्षक इन दोनों खण्डों IV (अ) व IV (ब) में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। इस खण्ड में 60 प्रश्न हल करने होंगे। परीक्षार्थी उसी खण्ड का चयन करें, जिसका आवेदन पत्र भरते समय उल्लेख किया है।

(e) लेवल–1 व लेवल–2 परीक्षा में आवेदन पत्र में भरे हुए भाषा विकल्प तथा स्तर द्वितीय परीक्षा में खण्ड (IV) के विकल्प से अलग खण्ड को हल करने पर, खण्ड के हल किए गए उत्तरों को गलत माना जाएगा और परीक्षा उपरान्त इनमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा।

(f) परीक्षार्थी सम्बन्धित प्रश्न के सही उत्तर का चयन कर OMR Sheet में सही उत्तर वाले गोले को **नीले/काले बाल पेन** से ही सावधानी पूर्वक पूरा गहरा करें। एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही गोले को गहरा करें। एक से अधिक गोले, अन्यत्र या पास में बनाये गये गोले को गहरा करने पर उत्तर गलत माना जाएगा।

(g) उत्तर पत्रक में प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच विकल्प होगें किन्तु प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न हेतु चार विकल्प A,B,C,D होगें। अभ्यर्थियों को इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में सम्बन्धित गोले को नीला/काला करना है। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उत्तर पत्रक के पांचवे विकल्प E का गोला काला करें । यदि उत्तर पत्रक में दिये गये पांच विकल्प में से किसी का भी गोला काला/नीला नही किया जाता है तो ऐसे प्रश्न के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जावेगा। यदि अभ्यर्थी कुल प्रश्नों के 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में पांच विकल्पों मे से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करता है, तो उसे अयोग्य माना जावेगा।

(h) OMR शीट पर कहीं भी किसी भी प्रकार का रफ कार्य तथा कोई चिन्ह अंकित नहीं करें।

(i) REET-2024 प्रमाण पत्र की वैधता :– राजस्थान सरकार के प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना विभाग) के पत्रांक प. 7(13)प्राशि/आयो/2022पार्ट दिनांक 16.03.2022 से रीट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन कर दी गई है।

(j) REET-2024 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को REET कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र ज़ारी किया जाएगा। REET परीक्षा उत्तीर्ण करने से ही किसी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में भर्ती/रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह अध्यापक भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड/पात्रता मात्र है।

महत्वपूर्ण सूचना

- **परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न–पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का**

प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षडयंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रूपये 10,00,000/– (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, से दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपर्युक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

- इस अधिनियम की सम्पूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक REET-2024 वेबसाईट पर अपलोड की गई है।

6. REET-2024 के लिये न्यूनतम उत्तीर्णांक :–

i. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(13)प्राशि/आयो/2019 जयपुर, दिनांक 16.12.2020 के अनुसार अग्रांकित श्रेणियों हेतु न्यूनतम पात्रता अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया हैः–

क्र.सं.	श्रेणी	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत	
		Non TSP	TSP
1.	सामान्य/अनारक्षित	60	60
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	55	36
3.	अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	55	
4.	समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक	50	
5.	दिव्यांग (निःशक्तजन) श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति	40	
6.	सहरिया जनजाति के व्यक्ति	36 (सहरिया क्षेत्र)	

नोट :– 1.राज्य सरकार के स्पष्टीकरण पत्र क्रमांक प.7(13)प्रा.शि./आयो./2022–03965 दिनांक 05.07.2024 अनुसार TSP क्षेत्र में ST वर्ग के समस्त महिला–पुरूष (विधवा एवं परित्यक्ता महिला सहित) निर्धारित न्यूनतम उर्त्तीणांक 36 प्रतिशत अंक पर पात्र होगें।

2. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.7(13)प्रा.शि./आयो./2022/पार्ट–03964 दिनांक 25.06.2024 के अनुसार ''उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/सहरिया आदिम जाति वर्ग) का होगा उसी के आधार पर निर्धारित न्यूनतम उर्त्तीणांक मान्य होगें।''

ii. राज्य सरकार के राजपत्र क्रमांक F.7(I)EE/Plan/2011दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णांक (Minimum Passing Marks) निर्धारित किए गए हैं।

7. अन्य आवश्यक निर्देश/सूचना

1. परीक्षार्थी को सम्पर्क हेतु स्वयं का मोबाईल नम्बर तथा E-Mail ID देना आवश्यक है।
2. ओ.एम.आर. शीट (उत्तर पत्रक) की Re-checking, Re-assessment or Scrutiny का प्रावधान **नहीं** है। इस संबंध में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को नीला/काला बॉल पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र एवं एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र (यथा आधार कार्ड)जो आपने आवेदन के साथ अपलोड किया था, के साथ ही प्रवेशाज्ञा दी जावेगी।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आवश्यकतानुसार बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन व प्रचलित निर्देशों के अनुरूप पैट फ्रिस्किंग की जायेगी।
5. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रोनिक डिवाईस यथा मोबाइल फोन, केलक्युलेटर, ब्लूटूथ, आभूषण इत्यादि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
6. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी।
7. आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।
8. परीक्षा परिणाम तैयार करने से पूर्व प्रश्न मय उत्तर REET वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे। तत्पश्चात परीक्षार्थी निर्धारित समय में अपनी आपत्ति रू. 300/– प्रति प्रश्न शुल्क के साथ http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक REET-2024 पर दिए गए लिंक के माध्यम से REET कार्यालय को भेज सकता है। उसके पश्चात किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. निर्धारित अन्तिम दिनांक को रात्रि 12 बजे बाद लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। लिंक पर प्राप्त आपत्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा । अतः अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना निर्धारित समय सीमा में ऑनलाईन ही आपत्ति दर्ज करें।
10. परीक्षा विभिन्न दिनांकों एवं विभिन्न पारियों में होने पर प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न–पत्र सेट द्वारा आयोजित की जाएगी । परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाईजेशन अर्थात स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकता है।
11. **आवेदकों द्वारा ऑन–लाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही इस परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रोविजनल रूप से अनुमति प्रदान की जाएगी । उक्त परीक्षा में बैठने से पूर्व योग्यता दस्तावेज नहीं चाहे गये हैं तद्नुसार परीक्षा में बैठने की प्रदत्त अनुमति से अभ्यर्थी को योग्यता अर्जित नहीं होगी, इसका निर्धारण सक्षम स्तर पर भर्ती के समय प्रस्तुत किये दस्तावेज के आधार पर ही विनिश्चित होगा।**

12. केन्द्रीय या किसी राज्य की TET अथवा राजस्थान की RTET/REET परीक्षा से वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि यदि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है तो वे इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर सकते। ऐसे वंचित अभ्यर्थी आवेदन पश्चात सफल हो जाते हैं तब भी परीक्षा परिणाम निरस्त किया जायेगा।
आवेदन में गलत घोषणा पाई जाने पर डिबार (Debar) करने की कार्यवाही की जा सकती है।
13. सभी अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे समय समय पर रीट की वेबसाईट http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक REET-2024 का अवलोकन कर जारी की जाने वाली अद्यतन सूचनाओं से अवगत रहें ।

8. कानूनी विवादों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण :–

1. सभी विवादों के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र केवल अजमेर होगा।
2. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की अधिकारिता केवल समन्वयक, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, राजीव गाँधी विद्या भवन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइन्स अजमेर – 305001 (राज.) की है।
3. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अग्रांकित प्रारूपों में घोषणा (A) तथा घोषणा (B) की पूर्ति की जाकर तत्संबंधी सहमति प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र (A) का प्रारूप

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... घोषणा करता/करती हूं कि :–

1. मैंने REET परीक्षा 2024 से संबंधित नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। जिनकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी।
3. पूर्व आयोजित REET परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयुक्त करने पर वर्तमान में अयोग्य नहीं हूँ ।
4. किसी विधिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा।
5. *मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010 (सपठित 29 जुलाई, 2011) एवं समय–समय पर संशोधित एवं वर्तमान में वैधानिक रूप से प्रभावी, NCTE की Guidelines व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार परीक्षा की योग्यता रखता/रखती हूँ।*
6. आवेदन पत्र में कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पात्रता नहीं रखने पर आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
7. मैं स्वयं परीक्षा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाईट http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक REET-2024 से डाउनलोड करूंगा/करूंगी।
8. मैं डाऊनलोड किया हुआ आवेदन–पत्र, घोषणा पत्र, शपथ–पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वयं के पास सुरक्षित रखूंगा/रखूंगी, जिन्हें कार्यालय द्वारा मंगवाये जाने पर निर्देशानुसार जमा करा दूँगा/ दूँगी।
9. मेरे मूल दस्तावेजों का अन्तिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
10. मुझे यह जानकारी है कि REET परीक्षा उत्तीर्ण करने से ही मुझे शिक्षक के रूप में भर्ती/रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह अध्यापक भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड/पात्रता मात्र है।
11. मैं इस तथ्य से भली–भॉति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस परीक्षा से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज मैं नियुक्ति के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी तथा मैं आवेदन पत्र में भरी गई प्रविष्टियों में अंतिम संशोधन के अवसर पश्चात् कोई संशोधन नहीं करवा सकूँगा/सकूँगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान :..
नाम :
दिनांक :..
पता :
फोन नम्बर मय कोड :...........................
मोबाईल नम्बर :..

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र (B) का प्रारूप

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....उम्र.................. जाति/वर्ग ....निवासी...................................... व्यवसाय.. घोषणा करता/करती हूँ कि–

1. मैंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010 (सपठित 29 जुलाई 2011) एवं समय–समय पर संशोधित एव वैधानिक रूप से प्रभावी व विज्ञप्ति में दिये गये निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लिया है तथा मैं परीक्षा देने की न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता की पात्रता रखता/रखती हूँ।
2. ***मैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET)-2024 में 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' की धारा 2 के खण्ड (ढ) में सन्दर्भित स्कूलों में अध्यापक के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वैधानिक रूप से प्रभावी योग्यताएं रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा भरे गए आवेदन–पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ अथवा दस्तावेज फर्जी पाये***

जाते हैं या घोषणा पत्र में कोई असत्य बयान किया गया है, तो परीक्षा उपरान्त मिलने वाला पात्रता प्रमाण–पत्र स्वतः ही रद्द समझा जाएगा ।

3. पूर्व आयोजित REET परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयुक्त करने पर वर्तमान में अयोग्य नहीं हूँ ।
4. मेरे मूल दस्तावेजों का सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जावेगा। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
5. *मैं इस तथ्य से भली–भाँति अवगत हूँ कि परीक्षा REET–2024 सिर्फ पात्रता परीक्षा है तथा इस परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक अर्जित करने पर मात्र पात्रता अर्जित होती है।*
6. मुझे पूर्व में कभी भी केन्द्रीय या किसी राज्य की TET या राजस्थान की TET/REET परीक्षा में वंचित (Debar) नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

स्थान :.. *अभ्यर्थी का नाम :* ....

दिनांक :..

स्व सत्यापन

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....उम्र.................. जाति/वर्ग .... निवासी...................................... व्यवसाय.. सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त घोषणा–पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

हस्ताक्षर

स्थान : .... *अभ्यर्थी का नाम :* ....

दिनांक : .... मोबाईल नम्बर : ....

अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देशों हेतु Website एवं ई–मेल की सुविधा –

अभ्यर्थी अपने आवेदन के विषय में किसी भी प्रकार के मार्ग दर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में 10 से 5 बजे के मध्य, कार्यालय **समन्वयक, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) – 2024** पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क अथवा ई–मेल कर सकते हैं। पाठ्यक्रम एवं विस्तृत जानकारी REET की Website : http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक REET-2024 पर उपलब्ध होगी।

समन्वयक, REET-2024

———————